न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00069

1. रवि आत्मज सूरजमल आयु 23 वर्ष जाति काछी ।
2. नन्दा बाई पत्नी सूरजमल आयु 46 वर्ष जाति काछी निवासीगण बस स्टेण्ड की गली उपभोक्ता के सामने, बोरखेडा कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामभरोस आयु 57 वर्ष आत्मज छगना जाति काछी ।
2. राधेश्याम आत्मज छगना आयु 50 वर्ष जाति काछी निवासीगण बस स्टेण्ड की गली के पास उपभोक्ता के सामने बोरखेडा कोटा ।
3. सूरजमल आत्मज छगना आयु 48 वर्ष जाति काछी ।
4. प्रदीप आत्मज सूरजमल आयु 15 वर्ष जाति काछी ।
5. आशा पुत्री सूरजमल आयु 16 वर्ष जाति काछी नाबालिग जरिये वली माता इन्द्रा बाई निवासीगण बालाजी की बगीची के सामने वाली गली थेकडा रोड कोटा ।
6. तहसीलदार लाडपुरा कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 09.11.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 04.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खतौनी संख्या नया 93 में खसरा नम्बर 860 की रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 866 की रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 867 की रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 868 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 869 की रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 872 की रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 873 की रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 874 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बरी 875 की रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 10 की रकबा 1.93 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त पुश्तैनी आराजी है । उक्त भूमि के पूर्व खातेदार स्व0 छगना जी थे और उनकी मृत्यु निर्वसीयत आज से लगभग 03 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा छगना जी की मृत्यु से पूर्व अर्थात् छगना जी के जीवनकाल में प्रार्थी कम 01 का जन्म हो चुका था तथा प्रार्थिनी कम 02 अप्रार्थी कम 03 की पत्नी है तथा अप्रार्थी कम 03 अर्थात् प्रार्थी कम 01 के पिता सूरजमल ने प्रथम विवाह प्रार्थिनी कम 02 से किया था । अप्रार्थी कम 03 एवं प्रार्थिनी कम 02 के नुत्फे से एक मात्र जायज संतान प्रार्थी कम 01 उत्पन्न हुई तथा अप्रार्थी कम 03 ने दूसरा गैर कानूनी रूप से विवाह इन्द्रा बाई से किया था जिसकी दो नाजायज संताने अप्रार्थी कम 4 व 5 पैदा हुई । इस प्रकार अप्रार्थी कम 03 के कुल प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 04 व 5 वारिस हैं तथा सभी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण जाति से हिन्दू हैं और उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी कम 01 के पिता सूरजमल का 1/3 हिस्सा निहित है तथा सूरजमल की विवाहिता पत्नी अर्थात् प्रार्थिनी कम 2 से प्रार्थी कम 01 पैदा हुआ तथा दूसरी पत्नी से अप्रार्थी कम 4 व 5 पैदा हुए हैं । इस प्रकार 1/3 हिस्से के अप्रार्थी कम 3 लगायत 5 तथा वादीगण बराबरा–बराबर के हिस्सेदार हैं जो प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा कुल सम्पत्ति में से बनता है । चूँकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई संतान गर्भ में आ जाती है तो उसका पुश्तैनी सम्पत्ति में से अधिकार बनता है । चूँकि प्रार्थी कम 01 का जन्म दगना जी के जीवनकाल में हो चुका है इसलिए प्रेार्थी कम 01 उक्त सम्पत्ति में अपना–अपना निहित हिस्सा 1/15–1/15 कुल 2/15 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से वाली सम्पत्ति को हस्तान्तरण, बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । ऐसी स्थिति में ताफैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित में आवश्यक है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी में निहित प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/15–1/15 कुल 2/15 को हस्तान्तरण, बेचान, खुर्द–बुर्द एवं रहन आदि नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थीगण अपीलान्ट ने वाद प्रस्तुत कर रखा जिसमें समय लगने की संभावना है । यदि दौराने वाद वादग्रस्त आराजी में से अपीलान्ट के हिस्से वाली सम्पत्ति को रहन, बेचान एवं खुद–बुर्द कर दिया गया तो अपीलान्टगण को अपूरणीय क्षति होगी । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । पक्षकारान हिन्दू जाति से जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के पिता सूरजमल का 1/3 हिस्सा निहित है तथा सूरजमल जी के अपीलान्ट एवं प्रतिवादी कम 4 व 5 रेस्पोडेन्ट कम 03 सहित 5 हिस्सेदार हैं । इस प्रकार कुल सम्पत्ति में से 1/15–1/15 हिस्सा अपीलान्ट का तथा रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 5 का बनता है । इस बाबत् अपीलान्ट ने एक वाद पत्र बंटवारे का तथा एक अस्थायी निषेधाज्ञा का परीक्षण न्यायालय में पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्वर्गीय छगना जी थे उनके जीवनकाल में अपीलान्ट कम 1 का जन्म हो चुका था तथा हिन्दू विधि अनुसार यदि कोई बच्चा गर्भ में आ जाता है तो उसका पुश्तैनी सम्पत्ति में अधिकार उत्पन्न हो जाता है तथा अपीलान्ट का भी जन्म स्वर्गीय छगना जी के जीवनकाल में हो चुका था उनका इस सम्पत्ति में अधिकार उत्पन्न हो गया तथा रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के हिस्से वाली सम्पत्ति को बेचान करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी कम 02 नन्दा बाई काफी समय पूर्व अप्रार्थी कम 02 राधेश्याम के यहॉ पत्नी बनकर रह रही है । प्रार्थी कम 02 अप्रार्थी कम 03 की पत्नी नहीं है । प्रार्थी कम 02 नन्दा बाई लगभग 26 वर्ष पूर्व अप्रार्थी कम 02 की पत्नी बनकर रहने के बाद ही अप्रार्थी कम 03 ने इन्द्रा बाई से विवाह किया जिसकी दो वैध संताने आशा एवं प्रदीप मौजूद हैं । अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । प्रार्थीगण अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में कोई हित–निहित नहीं है । प्रार्थीगण अपीलान्ट का

वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2015 (1) पेज 633, एआईआर 2010 (एससी) पेज 296, उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम देवलीअरब तहसील लाडपुरा की आराजी कुल किता 10 की रकबा 1.93 हैक्टर भूमि छगना पुत्र हरबक्ष कौम काछी के खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 793 दिनांक 25.06.2013 विरासत से मृतक खातेदार छगना के स्थान पर रामभरोस, राधेश्याम, सूरजमल पुत्रान छगना के नाम हिस्सा बराबर में दर्ज करने की स्वीकृति का नोट अंकित है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में राधेश्याम, रामभरोस एवं सूरजमल तीनों का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट कम 01 रवि ने स्वयं प्रतिवादी कम 03 सूरजमल का पुत्र बताते हुए तथा प्रार्थी कम 02 अपीलान्ट ने स्वयं अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 03 सूरजमल की पत्नी बताते हुए हक घोषणा व विभाजन के वाद प्रस्तुत किया है । उक्त वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है । उक्त नामान्तकरण के अनुसार अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 03 सूरजमल का हिस्सा 1/3 बनता है । रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 5 ने परीक्षण न्यायालय में जवाब पेश कर कथन किया है कि अपीलान्ट कम 02 नन्दा बाई गत 20 वर्षो से रेस्पोडेन्ट कम 02 के यहॉ पत्नी बन कर रह रही है । रेस्पोडेन्ट कम 03 द्वारा अपीलान्ट कम 01 रवि को पुत्र होना स्वीकार किया है तथा मॉ (प्रार्थी कम संख्या 02 नन्दा बाई) के छोडकर जाने के बाद अपीलान्ट कम 01 की परवरिश रेस्पोडेन्ट कम 03 (सूरजमल) द्वारा किया जाना अवगत करवाया गया है । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट कम 03 (सूरजमल) एवं अपीलान्ट कम 02 (नन्दा बाई) के नुफ्ते से अपीलान्ट कम 01 (रवि) जायज सन्तान होना प्रतीत होता है । अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में प्रतीत होता है । दौराने वाद यदि अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से की क्लेम की गई भूमि का विक्रय होता है तो अपूरणीय क्षति भी अपीलान्ट को होगी । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि उक्त वादग्रस्त आराजी स्वअर्जित सम्पत्ति हो । प्रथमदृष्टया भूमि पैतृक प्रतीत होती है हालांकि इसका निर्धारण मूल वाद में तय होगा । इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु हम अपीलान्ट कम 01 के पक्ष में पाते हैं । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट कम 01 के हितों को संरक्षित रखना आवश्यक प्रतीत होता है । अतः प्रकरण में विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट कम 03 के हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 1/15 पर स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । पक्षकारान के स्वत्व एवं अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय तय होगा ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 निरस्त किया जाता है । ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खतौनी संख्या नया 93 में खसरा नम्बर 860 की रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 866 की रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 867 की रकबा 0.22 हैक्टर,

खसरा नम्बर 868 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 869 की रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 872 की रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 873 की रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 874 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बरी 875 की रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 10 की रकबा 1.93 हैक्टर भूमि में रेस्पोडेन्ट कम 03 सूरज मल के 1/3 हिस्से में से 1/15 अपीलान्ट कम 01 के पक्ष में संरक्षित रखते हुए अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 03 सूरज मल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे अपने हिस्से की 1/3 में से 1/15 हिस्सा को ताफैसला वाद रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें । रेस्पोडेन्ट कम 03 के अतिरिक्त अन्य सहखातेदार इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं होंगे । उक्त कृत्य न तो स्वयं रेस्पोडेन्ट कम 03 करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

13. निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा